राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3093/2025

विश्वास कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. श्री रविन्द्र बैरवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलक्टर, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.06.2025
आदेश की दिनांक : 23.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय, कलेक्ट्रेट, करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2002 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 21.02.2007 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठ है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को वर्ष 2013 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर तथा वर्ष 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की दिनांक 01.04.2021 व दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम 8 पर अंकित था। प्रत्यर्थी

विभाग के आदेश दिनांक 30.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की रिक्ति के विरूद्ध रिक्त दिनांक 01.10.2022 से पदोन्नत किया गया। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 01.04.2022 के रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–3) को जारी किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि डी.पी.सी में सम्पूर्ण डी.पी.सी वर्ष की रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है तथा ऐसी रिक्तियों को रोस्टर बिन्दुओं के आधार पर श्रेणीवार विभाजित किया जाता है, किन्तु पदोन्नति आदेश एवं रिक्ति आवंटन तिथि निम्न पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जाती है, ताकि उच्च पद पर एक वर्ष में चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता वही रहे, जो निम्न पद पर थी। राजस्व विभाग द्वारा पत्र के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए थी। उनका आगे यह भी कथन है कि डी.पी.सी. वर्ष 2022–23 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की डी.पी.सी. करते समय उच्च पदों यथा प्रशासनिक अधिकारी/ संस्थापन अधिकारी/ तहसीलदार के पद पर डी.पी.सी. संपादित नहीं की गई। जिससे उक्त पदों पर पदोन्नति उपरांत उपलब्ध रिक्त पदों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की डी.पी.सी. वर्ष 2022–23 में सम्मिलित नहीं किया जा सका एवं उक्त पद उच्च पदों पर पदोन्नति तिथि/वर्ष तक तत्कालीन वर्षों में रिक्त रहे है। यदि उक्त पदों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की डी.पी.सी. वर्ष 2022–23 में सम्मिलित किया जाता है तब भी अपीलार्थी दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में पदोन्नत होता है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में विभागीय नियमों/प्रावधानों की पालना नहीं कर अपीलार्थी को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2022 से पदोन्नत नहीं करने के कारण अपीलार्थी को भविष्य में सेवा संबंधी परिलाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को गैर नियमित परिलाभ प्राप्त होंगे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी की अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की रिक्ति दिनांक 01.10.2022 के स्थान पर दिनांक 01.04.2022 संशोधित कर दी जाती है तो अपीलार्थी डी.पी.सी. वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित 02 वर्ष की शिथिलन के अनुसार तहसीलदार के पद पर पदोन्नति की पात्रता सूची में शामिल हो सकेगा। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.11.2022 में संशोधन कर अपीलार्थी की अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.10.2022 के स्थान पर दिनांक 04.01.2022 की जाकर अपीलार्थी को बकाया राशि का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समस्त पारिणामि लाभों सहित भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष